**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**मौखिक प्रश्‍न सं. \*7**

**सोमवार, 24 नवम्‍बर, 2014 3 अग्रहायण 1936 (शक)**

**ई-रिक्शों के लिए मानदंडों में छूट दिया जाना**

\*7. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में बैटरी से चलने वाले विद्यमान ई-रिक्शों के लिए कतिपय विनियामक मानदंडों में छूट प्रदान करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अपनी रोजी रोटी के लिए ई-रिक्शों पर निर्भर लोगों को राहत देने हेतु नये मानदंडों को

कब तक प्रभावी बनाया जायेगा; और

(घ) दिल्ली उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद ई-रिक्शों की सेवाओं को कब तक बहाल

कर दिया जाएगा ?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)**

**(क) से (घ):** एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

**‘ई-रिक्शों के लिए मानदंडों में छूट दिया जाने’ के संबंध में डा.टी.सुब्बारामी रेड्डी द्वारा 24.11.2014 को पूछे गए राज्‍य सभा मौखिक प्रश्‍न संख्‍या 7 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण**

**(क) और (ख):** अपनी रोजी रोटी के लिए ई-रिक्शों पर निर्भर लोगों को राहत देने के लिए ई-रिक्‍शा और इसके विनिर्देशों को केन्‍द्रीय मोटर यान नियमावली के विस्‍तार क्षेत्र में शामिल किए जाने हेतु केन्‍द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में संशोधन किए जाने के लिए मंत्रालय ने सा.का.नि.709 (अ) दिनांक 8.10.2014 और का.आ.2590 (अ) दिनांक 810.2014 अधिसूचित किया है ।

**(ग)** **और (घ):** सा.का.नि.709 (अ) दिनांक 8.10.2014 और का.आ.2590 (अ) दिनांक 8.10.2014 शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में है ।

\*\*\*\*\*